



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



10 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 111 राँची, गुरुवार,

29 फरवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

22 दिसम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-100/2019-25491 (HRMS)--मो० शफीक आलम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला- दुमका), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महेशपुर, पाकुड़ के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2776, दिनांक 14.11.2019 के माध्यम से उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-227/मनरेगा, दिनांक 19.06.2019 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में मो० आलम के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये-

1. मो० आलम के महेश प्रखण्ड में पदस्थापन के दौरान मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में योजनाओं के कार्यों में कोई प्रगति नहीं लाया गया। योजना कार्यान्वयन हेतु उन्हें उपलब्ध कराये गये राशि 972.203 लाख में से मात्र 298.270 लाख व्यय किया गया, जो मात्र 31% रहा ।

2. MIS के मामले में भी महेशपुर प्रखण्ड के स्थिति अत्यंत ही दयनीय रहा है। कुल व्यय की गई राशि 298.270 में से 283.30 लाख का MIS कराया गया ।

3. वित्तीय वर्ष 2011-12 में इंदिरा आवास योजनाओं का भी लंबित रहना। दिनांक-01.04.2011 को कुल 961 इकाई लंबित था और चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में 410 अतिरिक्त निर्माण हेतु दी गयी थी। कुल 1371 इकाई में 61 इंदिरा आवास ही पूर्ण किया गया ।

4. विधायक निधि अंतर्गत योजना का भी लंबित रहना। दिनांक 01.04.2011 को कुल 96 योजना लंबित थी, परन्तु अगले 06 महीने में 01 भी योजना को पूर्ण नहीं कराया गया, जो इनके विकास कार्यों में उदासीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही को स्पष्ट करता है ।

5. तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़, श्री पी0सी0 सिन्हा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-192/नजा०, दिनांक-12.11.2011 में उल्लेख किया गया है कि योजनाओं के कार्यान्वयन में इनके द्वारा मनमानी किया गया ।

6. एस०जी०एस०आई० योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं करना तथा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10281 दिनांक 24.12.2019 द्वारा मो० आलम से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में मो० आलम के पत्रांक-2763, दिनांक 18.11.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। मो० आलम द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

1. पाकुड़ जिलान्तर्गत महेशपुर प्रखण्ड में बतौर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी उनके द्वारा दिनांक-16.05.11 को योगदान किया गया तथा दिनांक-05.01.2012 को इनका स्थानांतरण हो गया। मात्र 07 माह के अत्यल्प अवधि के दौरान माह जून से अक्टूबर तक की अवधि वर्षाकाल होने के कारण मिट्टी कार्य पूर्णतः बाधित रहा। इस प्रकार मात्र दो माह वास्तविक रूप से मनरेगा के कार्यों के संचालन हेतु प्राप्त हो पाया। इसके बावजूद मनरेगा के तहत प्राप्त राशि का 31% व्यय किया गया। अत्यल्प कार्य अवधि में योजनाओं का ससमय एवं योजनाबद्ध तरीके से कार्य सम्पन्न कराने का कारण ही इतनी बड़ी राशि का व्यय संभव हो पाया। इसके बावजूद कार्य में उदासीनता बरतने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है, जो दुःखद है ।

2. मनरेगा योजना कार्य में कराये गए कार्य के विरुद्ध कार्यरत श्रमिकों को तैयार मस्टर रॉल का MIS केन्द्रीकृत रूप से जिला स्तर पर कराये जाने की व्यवस्था जिला स्तर से निर्धारित की गई थी। मनरेगा के तहत नियुक्त प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी इस कार्य के प्रभारी होते थे। तैयार मस्टर रॉल का सत्यापन BPO के स्तर से करने के पश्चात् ही BPO द्वारा मस्टर रॉल MIS हेतु जिला मुख्यालय में कार्यरत प्रखण्ड के कम्प्यूटर आपरेटर के पास समर्पित किया जाता था। उनके द्वारा कार्य में प्रगति तथा MIS का त्वरित निष्पादन हेतु लगातार समीक्षा बैठक पंचायत सेवकों एवं मनरेगा कर्मियों के साथ की जाती थी, फलस्वरूप मनरेगा योजनाओं में अपेक्षित प्रगति संभव हो पाई थी। आरोप में मस्टर रॉल का MIS का प्रतिदिन के आधार पर औसत निकालकर उनका कार्य असंतोषजनक प्रतिवेदित किया गया है। जबकि मस्टर रॉल एवं MIS एक सतत् प्रक्रिया है। दिनांक

21.10.11 से 04.11.11 तक इनके द्वारा कुल 119 मस्टर रॉल MIS हेतु भेजने का आरोप है। स्पष्ट करना है कि उक्त अवधि में महेशपुर से बड़े प्रखण्ड पाकुड़ द्वारा भी कुल 103 MR जिला भेजा गया था। इसी प्रकार आमड़ापाड़ा एवं पाकुड़ियाप्रखण्ड द्वारा भी क्रमशः 64 एवं 35 MR ही भेजा गया था। इसके बावजूद भी केवल इनके विरुद्ध आरोप गठित किया जाना स्वतः स्थिति को स्पष्ट करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को जिला स्तर से स्पष्टीकरण भी नहीं पूछा गया। अन्य प्रतिवेदित आरोप पर पूछे गये स्पष्टीकरण का ससमय जबाब उनके द्वारा नहीं दिया, के संबंध में स्पष्ट करना है कि स्पष्टीकरण निर्धारित समय के पश्चात् समर्पित कर दी गई थी।

3. मो० आलम प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महेशपुर के पद पर मात्र 07 माह कार्यरत थे, जिसमें 05 माह वर्षा ऋतु होने के कारण योजना कार्य की अपेक्षित प्रगति बाधित होती है। उक्त अवधि में बालु इत्यादि की भी सुलभता नहीं होती है। फिर भी इनके द्वारा योगदान के पश्चात् इंदिरा आवास को पूर्ण कराने को प्राथमिकता के तौर पर लिया गया। विभिन्न बैठकों एवं स्थल भ्रमण के माध्यम से अपूर्ण आवासों की सूची तैयार करते हुए सभी संबंधित कर्मियों को त्वरित गति से आवास पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। वस्तुतः यह योजना व्यक्तिगत लाभ से संबंधित होने एवं उनके द्वारा निर्माण कार्य स्वयं कराने का प्रावधान होने से भी इसमें चुनौतियाँ होती हैं, फिर भी इनके द्वारा पूर्ण प्रयास किया गया, परन्तु स्थानांतरण हो जाने के कारण अपेक्षित परिणाम बाधित हुआ। इस प्रकार यह आरोप निराधार प्रमाणित होता है।

4. विधायक निधि योजना अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में भी इनके स्तर से गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की गई। लगातार किए गए अनुश्रवण एवं सकारात्मक प्रयास के कारण ही कुल छः योजनाएँ पूर्ण कराई गई, जो अभिलेखबद्ध हैं। इस प्रकार एक भी योजना पूर्ण नहीं कराने का आरोप निराधार है।

5. प्रतिवेदित आरोप तथ्य के अनुरूप नहीं है। संदर्भित श्री पी०पी० सिन्हा, कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा केवल अभिलेख जांच की गई है। स्थलीय जांच किए जाने पर वास्तविक स्थिति से जांच पदाधिकारी अवगत हो पाते। जांच पदाधिकारी द्वारा जांच के क्रम में अभिलेखों का पूर्णतः भली-भाँति अवलोकन भी नहीं किया गया है यथा योजना संख्या-18/2009- 10, दिनांक-10.09.2011 को, योजना सं०-500/2009-10, दिनांक-13.09.2011 को एवं योजना संख्या-856/2009-10 दिनांक-27.09.11 को पूर्ण कराते हुए अभिलेखीय कार्रवाई बंद की जा चुकी थी, परन्तु जांच के समय इसकी अनदेखी जांच पदाधिकारी द्वारा करते हुए जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जबकि मो० आलम द्वारा साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक बैठक सभी क्षेत्रीय कर्मचारियों/पदाधिकारियों एवं पर्यवक्षकों के साथ रहते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश लगातार दिया जाता रहा है। इस प्रकार लगाए गए आरोप तथ्यात्मक रूप से निराधार है।

6. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महेशपुर के रूप में मात्र 07 माह के कार्यकाल में सभी योजनाओं के सर्वांगीण रूप से लक्ष्य प्राप्त हेतु अथक प्रयास उनके द्वारा किया गया। स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण कार्य में लक्ष्य प्राप्ति हेतु विशेष कार्य योजना तैयार कर कार्य प्रारंभ किया गया परन्तु अल्प अवधि में स्थानांतरण के फलस्वरूप वांछित उपलब्धि नहीं हो पाई।

मो० आलम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण कि मात्र 07 माह की अल्प अवधि होने के कारण सभी योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है, पूर्ण रूप से संतोषप्रद नहीं है। इंदिरा आवास योजनाओं में लंबित की संख्या काफी ज्यादा है। इसी तरह विधायक मद की योजना में भी मात्र 06 योजनाओं को पूर्ण किया गया है।

समीक्षोपरांत मो० आलम के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-3110, दिनांक 31.05.2023 द्वारा मो० आलम से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी, परन्तु उनसे द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अप्राप्त रहा। उक्त से स्पष्ट है कि उनको जवाब समर्पित करने में कोई रुचि नहीं है।

अतः मो० शफीक आलम, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महेशपुर, पाकुड के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति मो० शफीक आलम, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MD SHAFIK ALAM 111001163849	मो० शफीक आलम, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महेशपुर, पाकुड के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
